Popular Front of India

G-78,2nd Floor, ShaheenBagh, Kalindikunj, Noida Road New Delhi- 110025
website: www.popularfrontindia.org email:popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़
नई दिल्ली
22 अगस्त 2017

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पर्स्नल लॉ में सरकार के हस्तक्षेप पर रोक

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी एम. मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक बयान में कहा कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम पर्स्नल लॉ में सरकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, भले ही इस फैसले ने अगले 6 महीनों के लिए तीन तलाक के अमल पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि तीन जजों की बहुमत के फैसले ने धारा 25 के तहत पर्स्नल लॉ की हिफाज़त की बात कही है। मुस्लिम पर्स्नल लॉ बोर्ड के बयान के मुताबिक, फैसले ने धार्मिक आज़ादी को बुनियादी अधिकारों की रूह के तौर पर बाकी रखा है, जिसकी ज़मानत देश के हर नागरिक को दी गई है।

यह हकीकत है कि तीन तलाक के अमल को अच्छा अमल नहीं समझा जाता, भले ही कुछ जगहों पर इसका ज़िक्र मिलता है। मुस्लिम समुदाय के बहुत से समूह, मुस्लिम समाज के बीच इस अमल को रोकने के लिए लगातार सुधार की कोशिशें कर रहे हैं।

क्योंकि जजों की बहुमत के फैसले ने इस अमल को गैरकानूनी करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है, इसलिए बाकी दो जजों के इस मामले को संसद के हवाले करने की राय की कोई हैसियत मालूम नहीं पड़ती। इन बातों को सामने रखते हुए, मुहम्मद अली जिन्ना ने सरकार और संसद से हालिया फैसले का दुरूपयोग करते हुए, मुस्लिम पर्स्नल लॉ से छेड़–छाड़ करके चोर दरवाज़े से कॉमन सिविल कोड लाने की कोशिश न करने का अनुरोध किया है।

शफीकुर्रहमान
सेक्रेटरी, जनसंपर्क
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया